संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/रा.बी.स.नि./सेल-2/2016/ भोपाल दिनांक / / 2016

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों को उपचार करने की स्वीकृति के संबंध में।

----00----

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 9-1/2015/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 04.01.2016 द्वारा संलग्न सूची अनुसार शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार /जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि दी गई है।

उपरोक्त संलग्न सूची में दर्शाये गये कॉलम नं. 3 में उक्त बीमारीयों के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के नियम क्रमांक 02 के खण्ड "घ" के अन्तर्गत उक्त मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत उपचार करने की स्वीकृति दी जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृति के दौरान निम्न निर्देशों का कडाई से पालन किया जावें:-

1. पात्र हितग्राहियों को ही चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की जावें एवं योजनान्तर्गत सभी निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन किया जावें।
2. चिकित्सा संस्थाओं का उपचार प्राक्कलन निर्धारित बीमारी के पैकेज की सीमा का हो। यदि प्राक्कलन पैकेज से अधिक हो तो संबंधित संस्था से उसका स्पष्टीकरण लिया जावे। पैकेज से अधिक राशि की मांग करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्ताव भेजे जावें।
3. प्रत्येक चिकित्सा सहायता राशि की स्वीकृति आदेशों में यह उल्लेख किया जावे कि रोगी के उपचार उपरान्त चिकित्सा संस्था को सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शेष राशी एवं रोगी का डिस्चार्ज टिकिट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 15 दिवस में अनिवार्य रूप से भेजे तथा जो रोगी 3 माह तक उपचार कराने नहीं आता है, उसकी चौथे माह में राशि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वापस भेजी जावें।

संलग्न:- 08 चिकित्सालयों की सूची

संचालक, (रा.बी.स.नि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक04/रा.बी.स.नि./सेल-2/2016/ 62 भोपाल दिनांक 7/02/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2- निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3- समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
4- समस्त, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यलय, मध्यप्रदेश।
5- समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6- संचालक, एम.पी. बिरला हॉस्पिटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट सतना, आदित्य सुपर स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर, नेपियर टाउन जबलपुर, सिद्धांता, रेडक्रास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिट भोपाल, सी.एच.एल. हॉस्पिटल इन्दौर, एस.एम.जे.ट्रस्ट, शैल्बी हॉस्पिटल अहिंसा चौक कचनार सिटी रोड, विजयनगर जबलपुर, ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल, 11/2 ओल्ड पलासिया, ग्रेटर कैलाश रोड इन्दौर, शल्य ज्वाईट केयर सेंटर भोपाल, नेशनल हॉस्पिटल, 703 गोल बाजार, जबलपुर ।
7- समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
8- प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संचालक, (रा.बी.स.नि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर -2

राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत राज्य के अंदर निजी चिकित्सालयों की मान्यता प्राप्त सूची (2016)

क्र	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
1	2	3	4
1.	एम.पी. बिरला हॉस्पिटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सतना	कैंसर रोग-47, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, कलर डापलर, डायलिसिस	शासन आदेश दिनांक 13/01/2016 31/03/2016 तक मान्यता।
2.	आदित्य सुपर स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर।	न्यूरो सर्जरी, स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जयूरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, होमोडायलेसिस	31/03/2016 तक मान्यता।
3.	सिद्धांता, रेडक्रास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिट, भोपाल।	हृदय रोग	31/03/2016 तक मान्यता।
4	सी.एच.एल. हॉस्पिटल, इन्दौर।	हृदय रोग	31/03/2016 तक मान्यता।
5.	एस.एम.जे.ट्रस्ट, शैल्बी हॉस्पिटल, अहिंसा चौक, कचनार सिटी रोड, विजयनगर, जबलपुर।	होमोडायलेसिस, न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट	31/03/2016 तक मान्यता।
6.	ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल, 11/2 ओल्ड पलासिया, ग्रेटर कैलाश रोड, इन्दौर ।	किडनी ट्रांसप्लान्ट	31/03/2016 तक मान्यता।
7.	शल्य ज्वाईट केयर सेंटर, भोपाल ।	टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट	31/03/2016 तक मान्यता।
8.	नेशनल हॉस्पिटल, 703 गोल बाजार, जबलपुर।	हृदय रोग, न्यूरो सर्जरी, स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जयूरी, होमोडायलेसिस	31/03/2016 तक मान्यता।

उप संचालक (रा.बी.स.नि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।